न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
27/2020	12/10/2020	06.01.2026

रामनिवास पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 75 वर्ष जाति मीणा निवासी छत्रपुरा उर्फ कुम्हारियां तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र गोपाल माता नटीबाई जाति मीणा निवासी मूर्गेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. जोधराज पुत्र बालाबक्स (मृतक) जर्ये कायम मुकाम
2/1 सम्पत बाई पत्नि जोधराज
2/2 मेवाबाई पत्नि जोधराज
2/3 भरत पुत्र (नाबा0) जर्ये वली माता मेवाबाई
2/4 अमन पुत्र नाबा0 जर्ये वली माता मेवा बाई
3. कन्हैयालाल पुत्र बालाबक्स
4. शांति बेवा बालाबक्स जातियान मीणा निवासीगण छत्रपुरा उर्फ कुम्हारियां तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज,

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
अप्रार्थीकम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0
अप्रार्थी कम 2 ता 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर कुशवाहा एड0।

प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नं. 6 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नं. 254 रकबा 2.17 हैक्टर कायम किये गये। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है। विवादित कृषि भूमि नकल जमाबन्दी संवत 2011–18 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल व पन्नालाल के खातेदारी में दर्ज थी। गोपीलाल पुत्र गिरधारी व पन्नालाल पुत्र गिरधारी दोनों सगे भाई थे। गोपीलाल की मृत्यू के बाद उसके 1/2 हिस्से पर मोहनलाल पुत्र गोपीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ । मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है। मोहनलाल के 2 पुत्र कमशः बालाबक्स व रामनिवास थे । रामनिवास प्रार्थी है। तथा बालाबक्स की मृत्यु हो चुकी है। बालाबक्स के विधिक वारिसान अप्रार्थी कम 2,3,4 है। गोपीलाल का दुसरा भाई पन्नालाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है और पन्नालाल की बेवा नर्बदाबाई की मृत्यु हो चुकी है। मृतक पन्नालाल के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। उसके 3 पुत्रियां क्रमशः कान्ही कस्तुरी एवं नटटी थी। तीनों पुत्रियों की मृत्यु हो चुकी हैं। विवादित कृषि भूमि में मृतक पन्नालाल का 1/2 हिस्सा था और मृतक पन्नालाल के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। इसके 3 पुत्रियां कान्ही कस्तुरी, नट3टी थी। इसलिए पन्नालाल की मृत्यु के बाद पन्नालाल का 1/2 हिस्सा पन्नालाल के दूसरा भाई गोपीलाल के वारिसों के खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। क्योंकि हिन्दू विधि के अनुसार मीणा जाति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं होते है। फिर भी अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

कम 1 ने सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ करके पन्नालाल के 1/2 हिस्से पर नटटी व गंगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया हैं। नटटी की मृत्यु हो चुकी हैं, जबकि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर गोपीलाल के वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। अर्थात प्रार्थी काबिज काश्त है। और लगान आदि भी प्रार्थी जमा करवाता हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा अप्रार्थी कम 1 से सांठ गांठ करके जानबूझकर त्रुटि पूर्ण अंकन करते हुये बिना किसी आधार के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी कम 1 का नाम दर्ज कर दिया है। जिसका कि उनको कोई अधिकार नहीं है। जबकि मौके पर गोपीलाल के वारिस काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा गंगाराम अप्रार्थी कम 1 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाकर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी हैं तथा पन्नालाल के 1/2 हिस्से की भूमि को प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। बालाबक्स पुत्र मोहनलाल के वारिस अप्रार्थी कम 2,3,4 है। जिन्होंने अपना 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा दिनांक 28.11.16 को प्रार्थी को बैचान कर दिया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। इस कारण अप्रार्थी कम 2,3,4 के हिस्से की भूमि पर भी प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। दिनांक 5.9.2020 को अप्रार्थी कम ने प्रार्थी को धमकी दी कि विवादित कृषि भूमि पर मौके पर गये तो तुम्हारे हाथ पैर काट दुगां तथा इस भूमि को किसी दिगर व्यक्ति को बैचान करके रहुगां जबकि मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी ने विवादित भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई इसलिए न्यायालय श्रीमान के समक्ष आना पडा है। प्रार्थी का पृथम दृष्टया केस हैं तथा सुविधा का सतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका कि मुद्रा में मूल्याकन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से श्री श्याम बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 2, 3, 4 की ओर से श्री नन्दकिशोर कुशवाहा एड0 ने अप्रार्थी कम 2, 3, 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया। अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छत्रपुरा में स्थित खसरा नं. 254 रकबा 2.17 हैक्टर सम्पूर्ण कृषि आराजी में अप्रार्थी कम 1 गंगाराम 1/2 हिस्से का खातेदार है और वर्णित आराजी के अपने 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी कम 1 गंगाराम ही काबिज काश्त चला आ रहा हैं। और वर्तमान में भी गंगाराम ही काबिज काश्त है। अप्रार्थी कम 1 गंगाराम वर्णित आराजी पर सेटलमेंट से पूर्व से ही तन्हा खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा हैं और काबिज काश्त भी है। अप्रार्थी कम 1 पुरूष खातेदार है। जिसके खिलाफ प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि खातेदार के विरूद्ध सयुंक्त खातेदार किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से पर लगातार अप्रार्थी कम 1 ही काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी कम 1 वर्णित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 का नाम वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

दुरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। दिनांक 5.9.2020 को अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। अप्रार्थी कम 1 रिकॉर्डेड खातेदार होने से उसके विरूद्ध प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। और अप्रार्थी कम 1 वर्णित आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होने व रिकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। वर्णित आराजी का अप्रार्थी कम 1, 1/2 हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार होने से व काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में ही मामला बनना पाया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला बनना नहीं पाया जाता हैं वर्णित आराजी के अपने 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी कम 1 ही काबिज काश्त होने से सुविधा का सतुलन भी अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में है। प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई सुविधा का सतुंलन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कम 1 के वर्णित आराजी में निहित 1/2 हिस्से की कृषि आराजी से बेदखल करने की धमकी देने व आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने के कारण प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित करवाया जाना आवश्यक हो गया है। यदि प्रार्थी द्वारा वर्णित आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से की कृषि आराजी के कब्जा काश्त से अप्रार्थी कम 1 को ताकत के बलबुते पर बेदखल कर दिया गया तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी कम 1 को होगी। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढंत व निराधार होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार जो काबिज काश्त है, जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे, और अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 के 1/2 हिस्से की वर्णित आराजी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। अतः जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे और अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थी कम 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वर्णित आराजी में निहित अप्रार्थी कम 1 के 1/2 हिस्से वाली कृषि आराजी के अप्रार्थी कम 1 के कब्जा काश्त में बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये।

प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टन क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित नवीन खसरा नं. 354 रकबा 2.17 हैक्टर कृषि भूमि को अप्रार्थी कम 1 रहन वैचान, वसीयत आदि से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे व न्यायालय के आदेश के बिना प्रार्थी को बेदखल नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये। अप्रार्थी कम 5 विवादित कृषि भूमि से संबधित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधी से करवाये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अनुसूचित समुदाय में महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता है। पन्नालाल के कोई पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

वारिस नहीं था। उनकी तीन पुत्रियां कस्तुरी, कान्ही व नट्टी थी जो कि तीनों फौत हो चुकी है। गंगाराम (प्रतिवादी सं0 1) नट्टी का पुत्र है। अतः राजस्व विभाग की त्रुटि के कारण गंगाराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। जो कि विलोपनीय है। इसका लाभ लेकर सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने की संभावना है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड उभयपक्ष रिकॉर्डेड खातेदार अंकित होने से प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष में है। प्रार्थी द्वारा अपूरणीय क्षति होने का बिन्दु साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के वर्ष 2020 से आदिनांक कोई क्षति कारित नहीं हुई। अगर ऐसी कुछ हानि हुई होती तो प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन की होती। आगामी समय में भी ऐसी कोई क्षति जिसका मुद्रा से मूल्याकंन संभव न ही हो कारित होने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी ने कब्जे संबंधी बिन्दु को स्वयं के पक्ष में होना पुष्ट या प्रमाणित नहीं किया है। वर्तमान में प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार प्रतीत होता है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अनावश्यक कठोरता होगी व अप्रार्थी को कई असुविधाओं का सामना करना पड सकता है। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा